

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 04/12/2023


क्रमांक F-1/1/4/0035/2023/1-10:: विभाग के आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2023 द्वारा श्री सर्वेश सोनी, परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी, सामान्य वनमण्डल रायसेन को स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी सागर, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर में पदस्थ किया गया है।

वन परिक्षेत्र सागर, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर रिक्त न होने के कारण उक्त स्थानांतरण के विरुद्ध श्री सर्वेश सोनी, परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी, सामान्य वनमण्डल रायसेन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका W.P. 22585/2023 दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका में दिनांक 08.09.2023 को निर्णय पारित कर आगामी सुनवाई तक श्री सर्वेश सोनी, वनक्षेत्रपाल की आदेश दिनांक 29.08.2023 द्वारा की गई पदस्थापना पर स्थगन दिया गया।

3/ प्रकरण में श्री सर्वेश सोनी, परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी, सामान्य वनमण्डल रायसेन द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उक्त पदस्थापना में संशोधन कर वन परिक्षेत्र लवकुश नगर, सामान्य वनमण्डल छतरपुर अथवा वन परिक्षेत्र, केसली सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर में पदस्थ करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त वर्णित स्थिति में राज्य शासन एतद्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.08.2023 द्वारा श्री सर्वेश सोनी, परिक्षेत्र अधिकारी, देवरी, सामान्य वनमण्डल रायसेन को स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी सागर, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर की गई पदस्थापना में संशोधन कर वन परिक्षेत्र अधिकारी, केसली, सामान्य वनमण्डल दक्षिण सागर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है। जिससे माननीय न्यायालय में दर्ज याचिका W.P. 22585/2023 का निराकरण हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
4/12/23.

(मोहित बुंदस)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

श्रीमान



आ.प्र. मुख्य अधिकारी, परिक्षेत्र  
वन विभाग, सागर

M 5/12

पृ० क्रमांक: F-1/1/4/0035/2023/1-10,

भोपाल दिनांक ०५/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
  2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र०, भोपाल।
  3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), वन भवन, भोपाल।
  4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), वन भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
  5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमणलाधिकारी.....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11), वन भवन, भोपाल।
  6. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
  7. संबंधित .....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11), वनभवन, भोपाल।
  8. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
41/12/23

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग